(13)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 3785–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–8–2015 पारित द्वारा आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 153/अपील/2013–14.

1– श्रीमती मेवाबाई बेवा मांगीलाल
2– श्रीमती चंचलबाई पुत्री मांगीलाल पत्नी बृजलाल
कृषक नरेला बाज्याफत तहसील हुजूर
हाल निवासीगण ग्राम मुनीरगढ़
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– नैनसुख आत्मज स्व. मांगीलाल
2– पदमसिंह आत्मज स्व. मांगीलाल
3– ललित कुमार आत्मज स्व. मांगीलाल
4– अमित कुमार आत्मज स्व. मांगीलाल
सभी कृषक निवासीगण ग्राम तारावली
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन
5– मध्यप्रदेश शासन
द्वारा कलेक्टर, भोपाल .....अनावेदकगण

श्री गुलाब सिंह, अभिभाषक, आवेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 7/5/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–8–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम नरेला बाज्याफत तहसील हुजूर जिला भोपाल स्थित भूमि सर्वे कमांक 112, 116 एवं 117 कुल किता 3 कुल रकबा 8.480 हेक्टेयर भूमि आवेदिका कमांक 1 के पति एवं आवेदिका कमांक 2 तथा अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के पिता मांगीलाल के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी । मांगीलाल द्वारा अपने जीवनकाल में प्रश्नाधीन भूमि अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के मध्य बराबर हिस्सा कर तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 22–4–2006 से नामांतरण करा दिया गया था । नामांतरण पंजी पर पारित आदेश की जानकारी आवेदकगण को दिनांक 8–10–2012 को होने पर उनके द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर जिला भोपाल के समक्ष दिनांक 10–12–2012 विलम्ब से प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18–7–2014 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । आयुक्त द्वारा दिनांक 28–8–2015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) नामांतरण पंजी पर पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है, जिसके संबंध में समय–सीमा लागू नहीं होती है, क्योंकि नामांतरण पंजी पर बटवारा एवं नामांतरण का मिश्रित आदेश पारित नहीं किया जा सकता है ।

(2) आवेदकगण की ओर से अवधि विधान की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसका खण्डन अनावेदकगण द्वारा नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को विलम्ब क्षमा करना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा विलम्ब क्षमा नहीं करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(3) नामांतरण पंजी पर तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से संहिता की धारा 109, 110 एवं 178 के प्रावधानों को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है, अतः प्रारंभ से ही ऐसे शून्यवत एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश के विरूद्ध समय–सीमा का बंधन लागू नहीं होता है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में इस स्थिति पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है कि आवेदकगण पूर्णतः अशिक्षित एवं अनपढ़ होकर काफी दूर निवास करते हैं, इसलिए उन्हें नामांतरण पंजी पर पारित आदेश की जानकारी नहीं होना समाधान कारक कारण था, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपील अवधि बाह्य मानकर निरस्त करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1994 आर.एन. 102, 1995 आर.एन. 27, 1991 आर.एन. 348, ए.आई.आर. 1967 (सुप्रीम कोर्ट) 1269, 1997 आर.एन. 310, 2005 आर.एन. 184, 2014 आर. एन. 116, 2010 आर.एन. 259, 2000 आर.एन. 153, 2000 (II) म.प्र. वीकली नोट्स 74, 1995 (1) म.प्र. वीकली नोट 243 (उच्च न्यायालय), 1991 आर.एन. 127, ए.आई.आर 1987 (सुप्रीम कोर्ट), 1353, 2010 आर.एन. 215, 1999 आर.एन. 223 (उच्च न्यायालय) एवं 2007 आर.एन 77 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

5/ अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदकगण की प्रश्नाधीन भूमि में कोई लोकसस्टेण्डाई नहीं है, क्योंकि आवेदिका कमांक 1 मेवाबाई न तो स्वर्गीय मांगीलाल की पत्नी है, और न ही आवेदिका कमांक 2 चंचलबाई स्व. भूमिस्वामी मांगीलाल की पुत्री है ।

(2) नामांतरण पंजी वर्ष 2006 के संबंध में निगरानी प्रस्तुत की गई है, इस संबंध में आवेदकगण स्वयं स्वीकार करते हैं कि वर्ष 2012 में मांगीलाल की मृत्यु हुई है, इसका अर्थ यह है कि एक पत्नी अपने पति के साथ रहते हुए उसे अपने पति की मृत्यु की जानकारी नहीं है, यह विश्वसनीय नहीं है । वास्तविक स्थिति यह है कि आवेदिका कमांक 1 मेवाबाई, मांगीलाल की पत्नी नहीं है, और वह अन्य ग्राम मुनीरगढ़ में निवास करती है ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी एवं आयुक्त द्वारा जो आदेश पारित किये गये हैं, वह पूर्णतः विधि आधारों पर एवं विधि प्रकिया का पालन करते हुए पारित किया गया है, जो कि पूर्णतः विधिसंगत है ।

(4) आवेदकगण द्वारा अवधि बाह्य प्रस्तुत अपीलों के संबंध में अवधि विधान की धारा 5 के प्रावधानों के सुस्थापित सिद्धांतों के तहत विलम्ब का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है ।

6/ आवेदकगण एवं अनावेदक कमांक 1 लगायत 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय

अधिकारी के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि उनके समक्ष आवेदक कमांक 1 द्वारा मृतक मांगीलाल की पत्नी होने एवं आवेदक कमांक 2 द्वारा मृतक भूमिस्वामी मांगीलाल की पुत्री होने का उल्लेख करते हुए समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसका कोई खण्डन अनावेदकगण द्वारा नहीं किया गया है । स्पष्ट है कि आवेदकगण प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं, जिनको तहसील न्यायालय ने प्रथम दृष्टया सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना नामांतरण पंजी पर नामांतरण आदेश पारित किया गया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी को उनके समक्ष प्रस्तुत अपील समय–सीमा में मान्य कर गुण–दोष पर निराकरण करना चाहिए था, परन्तु ऐसा नहीं करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, और उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की गई है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–8–2015 एवं अनुविभागीय अधिकारी, हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–7–2014 निरस्त किये जाते हैं । अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील समय–सीमा में मान्य कर गुण–दोष पर निराकरण हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर